सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 कार्तिक , 1943 (श०)

संख्या-546 राँची, शुक्रवार, 29 अक्टूबर, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

28 अक्टूबर, 2021

संख्या-एल०जी०-25/2016-72–लेज०झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-21/10/2021 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021

(झारखण्ड अधिनियम संख्या-09, 2021)

भारतीय गणराज्य के 72वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

(1) यह अधिनियम ''झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021'' कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह राजकीय गजट/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा ।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011, जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा जाएगा निम्नांकित संशोधन किया जाएगा:-

(i) मूल अधिनियम के अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-21A, 102 एवं 103 को विलोपित किया जाएगा।

(ii) मूल अधिनियम के अध्याय-4 की धारा-26 (6) को विलोपित किया जाएगा।

(iii) मूल अधिनियम के अध्याय-4 के शीर्षक एवं धारा-28 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

धारा-28 "उपमहापौर और उपाध्यक्ष का निर्वाचन''

"परिषद की बैठक में यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में निर्वाचित पार्षद अपने में से एक उप महापौर अथवा उपाध्यक्ष यथास्थिति का निर्वाचन करेंगे जो गोपनीयता की शपथ लेने के पश्चात् अपने पद को ग्रहण करेंगा।''

(iv) मूल अधिनियम के अध्याय-4 की धारा-29 की उपधारा-(2)(क) में सम्मिलित शब्द 'उपमहापौर' एवं धारा-29 की उपधारा-(2) (ख) में सम्मिलित शब्द 'उपाध्यक्ष' को विलोपित किया जाएगा ।

(v) मूल अधिनियम के अध्याय-4 की धारा-29 की उपधारा-(2) (ख) के पश्चात उपधारा-2(ग) एवं उपधारा-(2)(घ) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाएगाः-

"2(ग) उपामहापौर की दशा में महापौर द्वारा, और

"2(घ) उपाध्यक्ष की दशा में अध्यक्ष द्वारा।''

(vi) मूल अधिनियम के अध्याय-10 की धारा-95 के शीर्षक एवं उपधारा-(1) एवं (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

धारा-95 ''महापौर और अध्यक्ष को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति''

(1) "यदि राज्य सरकार के मत में, महापौर या अध्यक्ष परिषद की लगातार तीन से अधिक बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने अथवा जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं कर्त्तव्यों को करने से उपेक्षा करने या इन्कार करने अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार होने का दोषी हो, तो राज्य सरकार महापौर या अध्यक्ष को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश द्वारा उसे पद से हटा सकेगी ।''

(2) ''इस प्रकार हटाया गया महापौर या अध्यक्ष शेष पदावधि के दौरान महापौर या अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा ।''

(vii) मूल अधिनियम के अध्याय-**1** की धारा-**2** की उपधारा-(104) को इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से उपधारा-**102** समझा जाएगा ।

(viii) मूल अधिनियम की धारा-**152** में नई उपधारा (11) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"(11) पूंजीगत मूल्य (Capital Value) से अभिप्रेत है झारखण्ड मुद्रांक (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली, **2012** के नियम **6** के उप नियम (2), (3), (4), (5) एवं (6) के अंतर्गत जिला अवर निबंधक के द्वारा निर्धारित की गई भूमि या भवन की न्यूनतम कीमत से है जो कि संबंधित वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को प्रचलित हो।"

(ix) मूल अधिनियम की धारा-**152** की उपधारा- (4) एवं (5) को विलोपित किया जाएगा।

(x) मूल अधिनियम की धारा-**152** की उपधारा- (6) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

"होल्डिंग के पूंजीगत मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र (Build Up Area) के रूप में संगणित की जायेगी।"

(xi) मूल अधिनियम की धारा-**152** की उप धारा- (1) के खंड (ड.) एवं (छ), उप धारा (7) (8) एवं (9) को विलोपित किया जाएगा।

(xii) मूल अधिनियम के अध्याय-**19** के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द "कर" को शब्द "शुल्क" से प्रतिस्थापित किया जायएगा।

(xiii) मूल अधिनियम की धारा-**173** की उप धारा- (1), (2) एवं (3) में प्रयुक्त शब्द "कर" को शब्द "शुल्क" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(xiv) मूल अधिनियम की धारा-**184** की उप धारा (1) में एक नया खण्ड (छ) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"(छ) निकाय द्वारा दी जा रही नागरिक सुविधाओं को स्थायी/अस्थायी रूप से निलंबित करना।"

(xv) मूल अधिनियम की धारा-**187** की उप धारा (1) के खण्ड (क) को विलोपित किया जाएगा।

(xvi) मूल अधिनियम की अनुसूची के क्रमांक-**197** के पश्चात् नया क्रमांक-**198** को निम्नवत अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"(198) अन्य"

(xvii) मूल अधिनियम की धारा-455 की उपधारा (4) के परन्तुक "परन्तु यह कि ऐसा शुल्क किसी भी स्थिति में दो हजार पाँच सौ रूपये से अनधिक होगा।" को विलोपित किया जाएगा।

(xviii) मूल अधिनियम की धारा-602 में सभी जगहों पर प्रयुक्त शब्द "कर" को शब्द "शुल्क" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

मुकुलेश चन्द्र नारायण,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
28 अक्टूबर, 2021

संख्या–एल०जी०–25/2016–73/लेज०––झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक–21/10/2021 को अनुमत **झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

The Municipal (Amendment) Act, 2021
(Jharkhand Act No. 09, 2021)

An Act to amend Jharkhand Municipal Act, 2011 be it enacted in the 72nd year of Republic of India, by Jharkhand State Legislature as follows:-

1. **Short title, extent and commencement**-

(1) This Act may be called the Jharkhand Municipal (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force from the date of publication in the official gazette/e-gazette.

2. Following amendments shall be made in the Jharkhand Municipal Act, 2011 hereinafter referred as the Principal Act:-

(i) Sub-section 21A, 102 and 103 of Section 2 of Chapter 1 of the Principal Act shall be omitted.

(ii) Sub-section 26(6) of Chapter 4 of the Principal Act shall be omitted.

(iii) Title and Section 28 of Chapter 4 of the Principal Act shall be substituted as follows:

Section-28 "Election of Deputy Mayor and Vice-Chairperson"-

"The elected councillors shall in a meeting of the council elect in accordance with such procedure as may be prescribed by the State Government one from amongst themselves to be the Deputy Mayor or the Vice-Chairperson, as the case may be, who shall assume office forthwith after taking the oath of secrecy."

(iv) The word 'Deputy Mayor' refered to in sub-section 2(a) of section-29 of the Principal Act and the word 'Vice-Chairperson' refered to in sub-section 2(b) of section-29 shall be omitted.

(v) Sub-section 2(c) and sub section 2(d) shall be inserted after sub-section 2 (b) of section 29 of Chapter-4 of the Principal Act as follows:

"2(c) in the case of Deputy Mayor, by the Mayor, and

2(d) in the case of Vice Chairperson, by the Chairperson."

(vi) Title and Sub-section 1 and 2 of Section 95 of Chapter 10 of the Principal Act shall be substituted as follows:

"Power of State Government to remove Mayor and Chairperson :"

(1) "If in the opinion of the State Government, the Mayor or the Chairperson absents himself without sufficient cause for more than three consecutive meetings of the Council or willfully omits or refuses to perform their functions and duties under this Act, or is found to be guilty of misconduct in the discharge of their duties or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties or is absconder, being an accused in a criminal case for more than six months, the State Government may, after giving the Mayor or the Chairperson a reasonable opportunity for explanation, by order, remove him from office. "

(2) "The Mayor or the Chairperson so removed shall not be eligible for re-election as Mayor or the Chairperson during the remaining term of office."

(vii) Sub-section 104 of Section 2 of Chapter 1 of the Principal Act shall be read as Sub-section 102 after the enactment of this Act.

(viii) In Section 152 of the Principal Act, a new sub-section(11) shall be inserted as follows:

"(11) As per Jharkhand Stamp(Prevention of undervaluation of instruments)(Amendment) Rules 2012, sub-rule (2),(3),(4),(5) and (6) of Rule-6, Capital value means the minimum price of the land or building determined by the District under Registrar prevailing on the first April of the respective financial year"

(ix) Sub-section (4) and (5) of Section 152 of the Principal Act shall be omitted.

(x) Sub-section(6) of Section 152 of the Principal Act shall be substituted as follows:
"For calculation of capital value of Holding, built up area shall be considered".

(xi) Clause (e) and (g) of sub-section (1) and sub-section (7) ,(8) and (9) of Section 152 of the Principal Act shall be omitted.

(xii) In Title of Chapter 19 of the Principal Act, the word "tax" shall be substituted by the word "fees"

(xiii) In sub- section (1),(2) and (3) of Section 173 of the Principal Act, the word "tax" shall be substituted by the word "fees".

(xiv) In sub-section (1) of Section 184 of the Principal Act, a new clause (g) shall be inserted as follows:

"(g) *suspension of civil amenities provided by ULB temporarily/permanently".*

(xv) Clause (a) of sub-section (1) of Section 187 of the Principal Act shall be omitted.

(xvi) In Schedule to the Principal Act, a new serial number (198) shall be inserted after serial number (197) as follows:
"(*198) Others*"

(xvii) Proviso of sub-section (4) of Section 455 of the Principal Act "*Provided that no such fees shall exceed two thousand and five hundred rupees in any case.*" shall be omitted:

(xviii) Words "tax" used at all places in Section 602 of the Principal Act, shall be substituted by the word "fees".

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

मुकुलेश चन्द्र नारायण,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 546 -- 50